भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2957
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि

†2957. डॉ. डी.रवि कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 37.9 एमएमटी से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29.4 एमएमटी रह गया है;

(ख) क्या सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद बढ़ती मांग के बीच कच्चे तेल के आयात, जो वर्तमान में देश की 88 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करता है, पर भारत की बढ़ती निर्भरता को कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में घरेलू गैस की बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए विशेषकर कृष्णा-गोदावरी बेसिन क्षेत्रों से गैस उत्पादन में वृद्धि को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) संशोधित एपीएम मूल्य निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार सरकार किस तंत्र से स्थिर गैस की कीमतें सुनिश्चित करती है और घरेलू गैस उत्पादन पर उच्चतम सीमा मूल्य तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ड.) भारत की तलछट वाली घाटियों में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) बोली के नौवें दौर और भावी बोली दौरों का लाभ उठाने के लिए सरकार की रणनीति क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) देश के लगभग 77% क्रूड ऑयल का उत्पादन परिपक्व क्षेत्रों (20 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन कर रहे) से होता है। परिपक्व क्षेत्रों से उत्पादन में वर्ष दर वर्ष प्राकृतिक गिरावट आ रही है। प्राकृतिक गिरावट को रोकने के लिए, सरकार ने रॉयल्टी और उपकर की आंशिक छूट के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से वर्धित निकासी (ईआर)/उन्नत निकासी (आईआर)/ अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2018 में नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी।

उत्पादन में तेजी लाने के लिए नए खोजों की भी जरूरत है। पूर्व एनईएलपी व्यवस्था के दौरान, वर्ष 2012 तक कुल 254 ब्लॉक प्रदान किए गए थे। हालांकि, केवल कुछ ही खोजें की जा सकी और अधिकांश ब्लॉक प्रचालकों द्वारा छोड़ दिए गए।

इसके बाद, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई नीतिगत पहलें की। इन सुधारों का उद्देश्य विनियामक बोझ को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना, अन्वेषण में निवेश बढ़ाना और इसके परिणामस्वरूप घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना है। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को दिनांक 30 मार्च, 2016 को अधिसूचित किया गया था, जो उत्पादन हिस्सेदारी संविदा व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में आसान विनियामक अनुपालन के साथ एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। अब तक 8 बोली दौर में 144 ब्लॉक प्रदान किए जा चुके हैं और अब तक 13 खोजें की जा चुकी हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी), अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) सर्वेक्षण, अंडमान अपतटीय परियोजना, मिशन अन्वेषण, विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ सर्वेक्षण और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अधिक तलछटी बेसिन डेटा उत्पन्न करने की दिशा में अपना दृष्टिकोण केंद्रित किया है। सरकार ने अपने अपतटीय क्षेत्रों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी खोल दिया है जो पहले नो-गो एरिया के नाम पर अन्वेषण के लिए प्रतिबंधित रहा था।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा शुरू किए गए नीति सुधारों की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत नीति, 2014।
ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015।
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।
v. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी, 2017 की स्थापना।
vi. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
vii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा।
viii. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018.
ix. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा।
x. नीति, 2019 के माध्यम से, बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II/III बेसिन के तहत कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।
xi. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।

(ख): सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की दिशा में देश भर में ईंधन/फ़ीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और संरक्षण आदि शामिल है। सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2023-24 के दौरान पेट्रोल का मिश्रण लगभग 14.6% तक पहुंच गया है और इसके परिणामस्वरूप ईएसवाई 2013-14 से ईएसवाई 2023-24 तक लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय की बचत हुई है। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल भी शुरू की गई है।

ग): सरकार ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकार द्वारा अक्टूबर, 2014 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर 'नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश' को मंजूरी दी गई, ताकि उत्पादन और उपभोक्ता, दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके।
- इसके बाद, वर्ष 2015 से, सरकार ने डीएसएफ, ओएएलपी, सीबीएम व्यवस्थाओं के तहत गैस के लिए और सभी व्यवस्थाओं के तहत दिनांक 28.02.2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और नई गैस खोजों से उत्पादित गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की।
- उच्च दाब-उच्च तापमान (एचपी-एचटी) रिजार्वायरों और गहरे पानी और अति-गहरे पानी वाले क्षेत्रों जैसे कठिन क्षेत्रों से गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2016 को पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर घोषित मूल्य ऊपरी सीमा के साथ प्राकृतिक गैस उत्पादन पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन प्रदान किया।
- इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में "प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों" की घोषणा की गई थी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस के बाजार मूल्य की खोज के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। तत्पश्चात, दिसंबर 2020 में ई-बोली के माध्यम से घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए बाजार मूल्य की खोज के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता वाले गैस उत्पादकों को गैस एक्सचेंजों के माध्यम से प्रति वर्ष 500 एमएमएससीएम तक गैस के लिए अतिरिक्त विकल्प की अनुमति दी गई है।
- गैस सुधारों और पर्यावरण को बचाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के रूप में सरकार ने नवंबर, 2021 में तेल और गैस कूपों के परीक्षण के दौरान उत्पादित तदर्थ/परीक्षण गैस के मुद्रीकरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
- जनवरी, 2023 में, सरकार ने विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के साथ गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के बाजार मूल्य की खोज और बिक्री और पुनर्विक्रय पर स्पष्टीकरण प्रदान किया।

- अप्रैल 2023 में, सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत में संशोधन किया और इसे भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत के 10% से जोड़ दिया। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा नामांकित क्षेत्रों के मामले में, गैस की मूल्य निम्नतम और अधिकतम मूल्य के अधीन है। ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों में नए कूपों और कूपों के हस्तक्षेप से उत्पादित गैस के लिए गैस के मूल्य पर 20% प्रीमियम की अनुमति है।

गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन से, तथा बढ़ती घरेलू गैस मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक में नए क्षेत्रों को जोड़ना तथा केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक के उच्च स्तरीय महासागर तल नोड (ओबीएन) सर्वेक्षण को मंजूरी देना
ii. केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक में डी-34 तथा सैटेलाइट क्षेत्रों में अतिरिक्त कूपों की ड्रिलिंग।

(घ): सरकार ने अप्रैल, 2023 में ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों जहां उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) सरकार द्वारा मूल्यों की मंजूरी का प्रावधान करता है, से उत्पादित गैस के लिए संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। ऐसी प्राकृतिक गैस का मूल्य भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% है और इसे मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अपने नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए, प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) मूल्य एक निम्नतम और एक अधिकतम मूल्य के अधीन है जो वर्तमान में 4 डॉलर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) और 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है। ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों में नए कूपों या कूपों के हस्तक्षेप से उत्पादित गैस के लिए एपीएम मूल्य पर 20% का प्रीमियम दिया अनुमित किया जाता है।

(ङ): खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) बोलियों के माध्यम से, सरकार भारत के तलछटी बेसिनों में विस्तार और अन्वेषण की गति बढ़ा रही है। अभी तक आठ ओएएलपी बोली दौर संपन्न हो चुके हैं और 3.37 बिलियन अमरीकी डालर के कुल अनुमानित निवेश के साथ अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) गतिविधियों के लिए 144 अन्वेषण ब्लॉक दिए गए हैं। ओएएलपी बोली दौर-IX में, 1,36,596 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 28 ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। सरकार द्वारा मौजूदा संविदात्मक ढांचे में मौजूदा प्रचालकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करके और उन्हें वैश्विक ईएंडपी कंपनियों की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए बोली दौर में भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधार/संशोधन किए गए हैं ताकि बोली दस्तावेजों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

****